-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 31.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **चौकी मर्दननाका क्षेत्र में दिनांक 25.07.2025 को चाकू से हमला कर एक व्यक्ति को घायल कर देने के मामले में वांछित चल रहे दूसरे अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद ।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चाकू से हमला करने वाले दूसरे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि दिनांक 24.07.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मर्दननाका के रहने वाले अयान पुत्र रमजानी व अशद पुत्र इमरान ने सतीश पुत्र बलबीर यादव को चाकू मारकर घायल कर दिया था । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों लगाया गया था । जिसमें एक अभियुक्त अयान पुत्र रमजानी को दिनांक 25.07.2025 को गिरफ्तार कर लिया था । इसी क्रम में दिनांक 30/31.07.2025 की रात्रि दूसरे अभियुक्त अशद उर्फ भय्यू पुत्र इमरान को रामनिवास मंदिर परागी तालाब के पास मर्दननाका से गिरफ्तार कर लिया गया है । अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अशद उर्फ भय्यू पुत्र इमरान निवासी दरी मोहल्ला मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 632/25 धारा 109/115(2)/352 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री बुद्धि सागर चौकी प्रभारी मर्दननाका
2. उ0नि0 हरिभजन चौकी प्रभारी कालवनगंज
3. कां0 नीतेन्द्र कुमार